संख्या– 673 / पॉच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5

लखनऊ दिनॉक २१ मार्च, 2020

विषय–कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

कल दिनांक 20 मार्च, 2020 तथा आज दिनांक 21, मार्च 2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गयी हैं, जिसमें निम्नवत् निर्देशित किया गया है:–

1 कोरोना वायरस के बचाव एवं इसके रोकथाम के बारे में निरन्तर लोगों के बीच जागरूकता फैलायी जाये। इस हेतु कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास खण्ड, जिला अस्पतालों एवं महत्वपूर्ण कार्यालयों तथा शहर के महत्वपर्ण स्थलों, ग्राम पंचायतों आदि में होर्डिग, बैनर, पोस्टर लगाने के निर्देश पूर्व में भी दिये गये हैं। इनका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इनके फोटोग्राफ भी सूचना विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2 आवश्यक वस्तुओं एवं दवाइयों की कमी न होने दी जाये तथा इनकी आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाये। किसी प्रकार की जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी की सूचना प्राप्त होन पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3 लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के विषय में संतुलित एवं समुचित जानकारी दी जाये जिससे किसी प्रकार के भय का वातावरण उत्पन्न न हो।

4 सोशल डिस्टेन्स इस समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अतः लोगों से अपील की जाये कि भीड़–भाड़ वाली जगहों में न जायें तथा वर्तमान में पूजा–अर्चना अपने घर पर ही सम्पन्न करें।

5 कहीं भी 10 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकठ्ठा न होने दिया जाये और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल का सहयोग लिया जाये।

6 दिनांक 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू का लोगों के सहयोग से पालन करवाया जाये। इस दिन स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग की स्थानीय टीमों के द्वारा विसंक्रमण, सफाई एवं फागिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7 लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद एवं आगरा में विशेष सफाई एवं विसंक्रमण का अभियान चलाया जाये।

8 सभी जनपद अपने जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों (यदि हों) में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेगें ताकि यदि भविष्य में ऐसी आवश्यकता आती है तो पूर्व से ही तैयारी रहे।
इस सम्बन्ध में निजी चिकित्सालयों से भी बात करके अग्रिम व्यवस्था कर ली जाये।

–2–

9 अस्पतालों में ओ0पी0डी0 को सीमित कर दिया जाये तथा अत्यन्त आवश्यक तथा आकस्मिक सेवाओं को ही जारी रखा जाये। जो आपरेशन बाद में किये जा सकते हों उन्हें अगले 15 दिन के लिए टाल दिया जाये ताकि डाक्टरों की उपलब्धता चिकित्सालयों में पर्याप्त बनी रहे।

10 जनता कर्फ्यू के दौरान दिनांक 22 मार्च, 2020 को पुलिस की मोबाइल गाड़ियाँ तथा नगर निकायों/चिकित्सा विभाग के वाहन सड़कों पर तैनात दिखाई पड़ें।

11 स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमित अथवा संदिग्ध मरीजों के लिए कन्ज्यूमेबिल वस्तुओं को खरीदने के लिए जिला अधिकारियों को राहत आयुक्त के द्वारा उपलब्ध करवाये जा रही धनराशि का समुचित सद्प्रयोग किया जाए। मास्क एवं सेनेटाइजर के मूल्य की सीमा नेश्नल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथार्टी के द्वारा निर्धारित की गयी है, जिसे संलग्न किया जा रहा है।

12 ऐसे भवन जिनमें भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर क्वारेंटाइन की सुविधा उपलब्ध करवायी जा सकती हो, उनका चिन्हांकन पहले से ही कर लिया जाये।

13 मेरठ, प्रयागराज एवं गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेसियेलिटी वार्ड को कोविड–19 के मरीजों की चिकित्सा के लिए तैयार करवा लिया जाये।

14 शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा पैरेन्ट टीचर एसोसिएशन एवं मदर टीचर एसोसिएशन के माध्यम से बाहर पढ़ रहे छात्रों से यह अपील करवायी जाये कि अनावश्यक यात्रा से बचे तथा अपने घरों में ही रह कर संक्रमण से बचायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

भवदीय,
21.3.20
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

<u>संख्या–538(1)/पॉच–5–2020 तद्दिनॉक</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, नगर विकास, राजस्व, गृह, चिकित्सा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, आयूष विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/अधीक्षक, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
21.3.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION(ii)]

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21 March, 2020

S.O. .... - In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the prices of masks (2ply & 3ply), the Melt Blown non- Woven Fabric used as raw material in production of masks, masks (2ply & 3ply) and hand sanitizers for preventing infections due to COVID-19 virus namely :-

1. (1) This order may be called the fixation of prices of masks (2ply & 3ply), Melt Blown non- Woven Fabric and hand sanitizers Order, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) The retail prices of Melt Blown non - Woven Fabric used in manufacturing masks (2ply & 3ply), shall not be more than the prices prevailing on the day one month prior to 13.03.2020 i.e. the prices prevailing on 12.02.2020.

(2) The retail prices of masks (3ply surgical mask), shall not be more than the prices prevailing on the day one month prior to 13.03.2020 i.e. as on 12.02.2020 or not more than Rs.10 per piece whichever is lower and that of mask (2ply) shall not be more than Rs.8 per piece.

(3) The retail prices of hand sanitizer shall not be more than Rs.100/- per bottle of 200ml the prices of other quantities of hand sanitizers shall be fixed in the proportion of these prices.

3. This Notification shall remain in force for a period upto 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

(F.S-26/1//2020-ECR&E)

(A.K. Choudhary)

Economic Adviser

Awadhesh Kr. Choudhary
Economic Adviser
M/o Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Consumer Affairs
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi-110001